सामान्य प्रश्न

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अनिश्चितता और प्रतिकूल मौसम की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप खेतों में होने वाली फसल हानि के लिए किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है।

2. किन कारणों से फसल प्रभावित होती है और जोखिम कवर होते हैं?

अधिसूचित क्षेत्र में कम वर्षा, प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण अधिसूचित मुख्य फसल की बोआई/रोपण/अंकुरण नहीं हो पाना, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल का फटना, प्राकृतिक आकाशीय बिजली, चक्रवात, चक्रवातीय वर्षा एवं बेमौसम वर्षा।

3. दावे का मूल्यांकन कैसे किया जाता है?

a. यदि बीमाकृत मौसम अवधि में बीमा इकाई के लिए बीमित फसलों की प्रति हेक्टेयर वास्तविक पैदावार (सीसीई की अपेक्षित संख्या के आधार पर की गयी गणना), निर्दिष्ट थ्रेशोल्ड उपज से कम हो जाती है, तो उस परिभाषित क्षेत्र में सभी बीमित किसान और फसल के लिए उपज में कमी को मान लिया जाता है।

निम्नलिखित सूत्र के अनुसार ''दावा'' की गणना की जाएगी:

$$\text{देय क्षतिपूर्ति} = \frac{\text{(थ्रेशोल्ड उपज - वास्तविक उपज)}}{\text{थ्रेशोल्ड उपज}} \times \text{बीमित राशि}$$

जहां, उस सीजन के लिए एक अधिसूचित बीमा इकाई में एक फसल के लिए थ्रेशोल्ड यील्ड (टीवाई); पिछले सात वर्षों में से सर्वश्रेष्ठ 5 वर्षों की औसत उपज में फसल के लिए लागू क्षतिपूर्ति स्तर से गुणा करके प्राप्त की जाती है।

b. किसानों के दावों का निपटान तब शुरु होगा जब उक्त मौसम के लिए केंद्र और राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार से प्रीमियम अनुदान बीमा कंपनी द्वारा प्राप्त कर लिया जायेगा।

4. इस योजना के तहत प्रीमियम दरें क्या हैं?

पीएमएफबीवाई योजना के तहत ली जाने वाली बीमांकिक प्रीमियम दरें इस प्रकार हैं:

a. खरीफ फसलों के लिए, किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम दर बीमित राशि का 2% या बीमांकिक प्रीमियम दर जो भी कम हो।
b. रबी फसलों के लिए, किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम दर बीमित राशि का 1.5% या बीमांकिक प्रीमियम दर जो भी कम हो।
c. खरीफ और रबी में व्यावसायिक/उद्यानिकी फसलों के लिए, किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम दर बीमित राशि का 5% या बीमांकिक प्रीमियम दर जो भी कम हो।

5. किसानों के लिए निष्फल बुवाई के दावे कैसे लागू होते हैं?
I. बुवाई नहीं हो पाने/निष्फल होने/रोपण बाधित होने की स्थिति में: यह आवरण केवल "मुख्य फसल" हेतु रबी में "चना" के लिए ही लागू होगा। फसल बुवाई अवधि के दौरान अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि एवं अन्य विपरित मौसम के कारण अधिसूचित क्षेत्र (ग्राम) में अधिसूचित मुख्य फसल की 75% से अधिक क्षेत्रफल में बुवाई / रोपाई / अंकुरण नहीं हो पाने की स्थिति में बीमित राशि का अधिकतम 25% तक क्षतिपूर्ति के रूप में कृषकों को भुगतान किया जावेगा।
II पात्रता मापदंड: इस घटक के अंतर्गत दावा भुगतान के लिए वे कृषक पात्र होंगे जिनके प्रीमियम आपदा क्षेत्र निर्धारण संबंधी शासन द्वारा जारी आदेश/अधिसूचना से पूर्व जमा कर लिये गये हो अथवा उनके स्वीकृत ऋण से काट लिये गये हो। बुवाई/रोपण बाधित का भुगतान केवल तभी होगा जब अधिसूचित फसल के लिए 75% से अधिक क्षेत्रफल में बुवाई/रोपाई/अंकुरण नहीं होती है।
II हानि मूल्यांकन प्रक्रिया:
- कवर केवल प्रमुख फसलों के लिए उपलब्ध होगा।
- भुगतान कुल बीमित राशि का 25% होगा और उसके बाद पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

नोट: बीमा कंपनी राज्य सरकार के अधिसूचना/आदेश के 30 दिनों के भीतर दावे को वितरित कर देगी, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम अनुदान की अंतिम सरकारी हिस्सेदारी की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना भुगतान किया जायेगा।

6. अगर फसल कट जाती है, तो उसके बाद भी नुकसान कवर होता है और किस हद तक?
अधिसूचित फसलों के कटाई उपरांत सूखाने अथवा छोटे-छोटे बंडलों में बांध कर खेत में रखे हुए फसल को अधिकतम दो सप्ताह (14 दिन) तक चक्रवात, चक्रवातीय वर्षा एवं बेमौसमी वर्षा से होने वाले क्षति से सुरक्षा प्रदान करेगा।
हानि मूल्यांकन प्रक्रिया: कृषक द्वारा क्षति के संबंध में सूचना हमारी कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800 266 0700 पर या लिखित रूप से स्थानीय कृषि/राजस्व अधिकारियों, संबंधित बैंक अथवा

जिला कृषि/राजस्व पदाधिकारी को लिखित रूप से निर्धारित समय सीमा 72 घण्टे के भीतर क्षतिग्रस्त बीमित फसल का ब्यौरा, क्षति की मात्रा तथा क्षति का कारण सहित सूचित करेंगे। किसान को बाद में सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ भरा हुआ दावा फॉर्म दावों के भुगतान के लिए अपेक्षित रूप में प्रदान करना चाहिए।
नुकसान आकलनकर्ता नियुक्त किया जाएगा और मूल्यांकन निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जाएगा, जिससे नुकसान आकलन रिपोर्ट के अंतिम रूप दिए जाने के बाद दावों का निपटारा किया जाएगा, जो योजना दिशानिर्देशों के अनुसार प्रीमियम की प्राप्ति के अधीन है।
दावों से संबंधित प्रश्नों के लिए ग्राहक हमारे कॉल सेंटर 1800 266 0700 पर कॉल कर सकते हैं या care@hdfcergo.com पर मेल लिख सकते हैं।

7. क्या भूस्खलन और ओलावृष्टि कवर है और दावा कैसे किया जाए?
स्थानीय आपदाएँ: अधिसूचित क्षेत्र में फसल को प्रभावित करने वाली ओलावृष्टि, जलभराव, बादल का फटना और प्राकृतिक आकाशीय बिजली से व्यक्तिगत आधार पर अभिचिह्नित स्थानीयकृत जोखिमों से होने वाले क्षति।
a. स्थानीय जोखिमों यथा - ओलावृष्टि, जलप्लावन, बादल फटना और प्राकृतिक आकाशीय बिजली से आगजनी के कारण अधिसूचित फसल में नुकसान होने की स्थिति में बीमित कृषक को उसके व्यक्तिगत खेत स्तर के आधार पर क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रावधान है।
b. हानि मूल्यांकन प्रक्रिया: कृषक द्वारा क्षति के संबंध में सूचना हमारी कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800 266 0700 पर या लिखित रूप से स्थानीय कृषि/राजस्व अधिकारियों, संबंधित बैंक अथवा जिला कृषि/राजस्व पदाधिकारी को लिखित रूप से निर्धारित समय सीमा 72 घण्टे के भीतर क्षतिग्रस्त बीमित फसल का ब्यौरा, क्षति की मात्रा तथा क्षति का कारण सहित सूचित करेंगे। किसान को बाद में सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ भरा हुआ दावा फॉर्म दावों के भुगतान के लिए अपेक्षित रूप में प्रदान करना चाहिए।
नुकसान आकलनकर्ता नियुक्त किया जाएगा और मूल्यांकन निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जाएगा, नुकसान आकलन रिपोर्ट के अंतिम रूप दिए जाने के बाद दावों का निपटान किया जाएगा।
दावों से संबंधित प्रश्नों के लिए ग्राहक हमारे कॉल सेंटर 1800 266 0700 पर कॉल कर सकते हैं या care@hdfcergo.com पर मेल लिख सकते हैं।
नोट: युद्ध, नाभिकीय जोखिमों से होने वाली हानि, दुर्भावना-जनित क्षति और अन्य निवारणीय जोखिम इसमें शामिल नहीं है।

8. इस योजना के तहत कौन सी फसल को कवर किया जा सकता है?
a. खाद्य फसलें जैसे अनाज, बाजरा और दालें
b. तिलहन जैसे मूंगफली
c. वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक बागवानी फसलें जैसे फल और सब्जियां
बारहमासी फसलों के अलावा कवरेज के लिए पायलटों को उन बारहमासी बागवानी फसलों के लिए लिया जा सकता है जिनके लिए उपज अनुमान के लिए मानक पद्धति उपलब्ध है।

9. सामान्य प्रीमियम सब्सिडी अनुपात क्या होगा?
a. बीमांकिक प्रीमियम दर और किसान देय प्रीमियम दर के बीच अंतर को सामान्य प्रीमियम सब्सिडी दर के रूप में माना जाएगा, जिसे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।
b. कुछ राज्य अपने मानदंडों के अनुसार अपने बजट से निर्धारित सब्सिडी के अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करते हैं और किसान सरकारी वेबसाइट पर उसकी स्थिति की जांच कर सकते हैं।

10. पीएमएफबीवाई के तहत कवर प्राप्त के लिए किसान पात्रता क्या है?
बीमा योग्य रूचि वाले सभी किसानों को इन योजनाओं के तहत कवर किया जा सकता है, जिसमें बटाईदार और काश्तकार किसान भी शामिल हैं।
- किसानों को अधिसूचित/बीमित फसलों के लिए बीमा योग्य रूचि होनी चाहिए।
- यह योजना ऋणी किसानों सहित सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाई गई है।
- वे सभी किसान जिन्होंने अधिसूचित फसल के लिए किसी वित्तीय संस्था (सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, निजी बैंक आदि) से ऋण लिया हो और जिन्होंने योजना की कट ऑफ डेट से 7 दिन पहले बाहर आने का विकल्प नहीं चुना है, वे अपने वित्तीय संस्थानों द्वारा योजना के तहत नामांकन के पात्र होंगे। फिर बैंक/सीएससी/मध्यस्थ भारत सरकार के राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर www.pmfby.gov.in पर अंतिम तिथि के अंदर किसानों को नामांकित करेंगे।
- अऋणी किसानों को आधार कार्ड, स्व-प्रमाणित बुवाई प्रमाण पत्र, सक्रिय बचत खाता की प्रतिलिपि जिस पर खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड स्पष्ट अंकित हो, स्वयं के नाम पर भूमि रिकार्ड/खतौनी की प्रतिलिपि/भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका/भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र/भू-राजस्व रसीद/पट्टा/संविदा/अधिसूचना अनुसार दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होते है।
किसी भी अधिसूचित बीमा इकाई में किसी भी अधिसूचित फसल के लिए पीएमएफबीवाई योजना के तहत बीमा कराने के इच्छुक गैर-ऋणी किसान और कृषक अंतिम तिथि के भीतर निकटतम बैंक शाखा/पैक्स/अधिकृत चैनल पार्टनर/बीमा कंपनी के बीमा मध्यस्थ से संपर्क कर सकते हैं,

निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म पूरी तरह से भरकर साथ में भूमि/फसल (जैसे स्वामित्व/किरायेदारी/खेती के अधिकार) के बीमा के लिए प्रस्तावित रूचि के बारे में आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य के साथ बैंक शाखा/बीमा मध्यस्थ/सीएससी केंद्रों में अपेक्षित प्रीमियम जमा करें।
- कवरेज के इच्छुक किसान को नामित बैंक की शाखा में एक खाता खोलना/संचालित करना चाहिए, और विवरण प्रस्ताव फॉर्म में होना चाहिए।
- किसानों को प्रस्ताव में अपनी भूमि की पहचान संख्या का उल्लेख करना चाहिए और खेती योग्य भूमि के कब्जे के संबंध में दस्तावेजी सबूत प्रदान करना चाहिए। कृषक को क्षेत्र की पुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
- किसान को सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे केवल एक माध्यम से भूमि के टुकड़े में अधिसूचित फसल (लों) उगाई गई/उगाने के लिए प्रस्तावित के लिए बीमा करवेज प्राप्त हो। किसी डुप्लिकेट या दोहरे बीमा की अनुमति नहीं है और ऐसे किसी भी मामले में किसान कवरेज का पात्र नहीं होगा। बीमा कंपनी ऐसे सभी दावों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखेगी और ऐसे मामलो में प्रीमियम भी वापस नहीं करेगी।
- कंपनी ऐसे किसानों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी कर सकती है।
- फसल योजना में कोई बदलाव अंतिम तिथि से कम से कम 2 दिन पहले बैंक के ध्यान में लाया जाना चाहिए।
- बीमा प्रस्ताव केवल एसएलसीसीसीआई / राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित घोषित तिथि के अनुसार निर्धारित तिथि तक स्वीकार किए जाते हैं।

11. फसलों के लिए उपलब्ध कवरेज की सीमा क्या है?
योजनांतर्गत खरीफ फसल धान सिंचित में 90% व धान असिंचित, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर (अरहर) मूंग एवं उड़द फसल हेतु 80% क्षति स्तर तथा रबी फसल चना हेतु 90% व गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, राई-सरसों एवं अलसी फसल हेतु 80% क्षति स्तर निर्धारित है।

12. क्या पीएमएफबीवाई के लिए नामांकन की कोई समय सीमा है?
सभी नामांकन आवश्यक रूप से अंतिम तिथि के भीतर पूरे करने आवश्यक हैं जैसा संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना में परिभाषित किया गया है और किसाने के हिस्से का प्रीमियम बीमा कंपनी को अंतिम तिथि के भीतर बैंक या मध्यवर्ती द्वारा विधिवत प्रेषित होना चाहिए। अंतिम तिथि के उपरांत किसी भी देरी के कारण बीमा कंपनी को कवरेज अस्वीकार करने का अधिकार है।

13. पीएमएफबीवाई योजना के कार्यान्वयन का उद्देश्य क्या है?
पीएमएफबीवाई एक जोखिम शमन उपकरण है जिसका उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करना और किसानों की आय स्थिर करना है ताकि खेती में उनकी निरंतरता सुनिश्चित हो सके। यह सभी चरणों में अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसलों के जोखिमों को कवर करता है, अर्थात् बुवाई से लेकर फसल कटाई तक। यह किसानों को आधुनिक और नवीन कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि कृषि क्षेत्र में आय और स्थायी उत्पादन स्थिर हो सके।

14. व्यक्तिगत किसान के लिए बीमित राशि क्या है?
व्यक्तिगत किसान के लिए बीमित राशि किसानों द्वारा अधिसूचित फसल के क्षेत्र से गुणित प्रति हेक्टेयर वित्त के पैमाने के बराबर है। खरीफ 2020 के लिए एचडीएफसी एगो को आबंटित राज्यों में विभिन्न फसलों की बीमित राशि को संबंधित राज्यों के अनुभाग में देखा जा सकता है।

15. किसान के दावों के निपटारे का आधार क्या है?
थ्रेशोल्ड यील्ड (TY) मापदंड उपज स्तर होगी, जिस पर किसी बीमा इकाई में सभी बीमित किसानों को बीमा सुरक्षा दी जाएगी। बीमा इकाई (IU) में अधिसूचित फसल की औसत उपज, पिछले सात वर्षों में सर्वश्रेष्ठ पाँच वर्षों की औसत उपज होगी। अधिसूचित फसल की थ्रेशोल्ड पैदावार क्षतिपूर्ति स्तर से गुणित औसत उपज के बराबर है।

16. इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य के लिए पूर्व शर्तें क्या हैं?
a. राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को स्लाइडिंग स्केल आधार पर अधिसूचित बीमा इकाई क्षेत्र में अपेक्षित संख्या में फसल कटाई प्रयोग (CCEs) संचालित करना चाहिए।
b. राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्धारित समय सीमा के भीतर यानी अंतिम फसल की तारीख से एक महीने के भीतर बीमा कंपनियों को सीसीई आधारित उपज डेटा जमा करना चाहिए।
c. राज्य/केंद्रशासित प्रदेश को सीसीई के संचालन के लिए आधुनिक तकनीक अपनानी चाहिए।

17. ऋण लेने वाले किसानों से प्रस्ताव और प्रीमियम की संग्रह प्रक्रिया क्या है?
सभी ऋणी किसानों के लिए इस योजना को स्वैच्छिक बनाया गया है।
सभी किसान जिन्होंने अधिसूचित फसल के लिए किसी वित्तीय संस्था (सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, निजी बैंक आदि) से ऋण लिया हो और जिन्होंने योजना की अंतिम तिथि से 7 दिन पहले बाहर आने का विकल्प नहीं चुना है, वे अपने वित्तय संस्थानों द्वारा योजना के तहत नामांकन के पात्र होंगे। फिर बैंक/सीएससी/मध्यस्थ भारत सरकार के

राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर www.pmfby.gov.in पर अंतिम तिथि के अंदर किसानों को नामांकित करेंगे।
फसलों के मौसम के आधार पर, बैंकों को वित्त पैमाने के आधार पर खरीफ और रबी दोनों मौसमों के लिए ऋण राशि की पात्रता की गणना अलग से करनी चाहिए और अधिसूचित फसलों के तहत व्यक्तिगत ऋणी किसान के क्षेत्र की घोषणा करनी चाहिए।

18. गैर ऋणी किसानों से प्रस्ताव और प्रीमियम की संग्रह प्रक्रिया क्या है?
a. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा प्राप्त करने के इच्छुक गैर ऋणी किसान निकटतम बैंक शाखा/सहकारी समिति/अधिकृत चैनल पार्टनर/जन सेवा केन्द्र (सीएससी)/बीमा कंपनी या उनके अधिकृत एजेंट से संपर्क कर सकते है।
b. अऋणी किसानों को आधार कार्ड, स्व-प्रमाणित बुवाई प्रमाण पत्र, सक्रिय बचत खाता की प्रतिलिपि जिस पर खाता संख्या एवं आईएफएससी कोर्ड स्पष्ट अंकित हो, स्वयं के नाम पर भूमि रिकार्ड / खतौनी की प्रतिलिपि / भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका / भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र / भू-राजस्व रसीद / पट्टा/संविदा / अधिसूचना अनुसार दस्तावेज अनिवार्य रूप से जमा करवाने होते है। बटाईदार किसान या किराए पर ली गयी भूमि की स्थिति में, भूमि के मालिक के साथ अनुबंध समझौता, किराया/पट्टा विलेख इत्यादित दस्तावेज अनिवार्य है।

19. क्या प्रक्रिया है जिसका राज्य अनुसरण करता है और अधिसूचना करता है?
a. पीएमएफबीवाई योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार से प्रशासनिक निर्देश जारी करने के बाद, एसएलसीसीसीआई आमतौर पर बोली नोटिस जारी करने के साथ फसलों, अधिसूचित क्षेत्र, वित्त के पैमाने, क्षतिपूर्ति स्तर आदि की अधिसूचना पर विभिन्न नियमों और शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक आयोजित करता है।
b. एसएलसीसीसीआई आमतौर पर फसल सीजन शुरू होने के कम से कम एक महीने पहले यानी खरीफ के लिए मार्च और रबी के लिए सितंबर में अपने राज्यों की संबंधित सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को अधिसूचना और सर्कुलेशन जारी करता है।
c. अधिसूचना जारी करने से एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार और चयनित कार्यान्वयन एजेंसी के साथ समन्वय में फसल बीमा पोर्टल पर अधिसूचना की सभी अपेक्षित जानकारी अपलोड कराना एवं उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

20. क्या नामांकन के लिए कोई कट ऑफ डेट है?

a. पीएमएफबीवाई दिशानिर्देशों के अनुसार मध्यस्थों और बैंकों के लिए अंतिम तिथियां अलग-अलग होती हैं। ऋणी किसानों को कवर करने के लिए समग्र ऋण अवधि, खरीफ के लिए - अप्रैल से जुलाई और रबी के लिए - अक्टूबर से दिसंबर तक होगी।

b. किसानों से प्रीमियम जमा करने के लिए बैंकर्स - ऋणी और गैर ऋणी किसान दोनों के लिए प्रस्ताव फार्म प्राप्त करने /खाते से प्रीमियम डेबिट की अंतिम तिथि खरीफ के लिए - 15 जुलाई और रबी के लिए - 15 दिसंबर है।

c. बैंकर्स को बीमा कंपनी में जमा करने के लिए - नोडल बैंक/बैंक शाखाओं से समेकित घोषणा/प्रस्ताव की प्राप्ति की अंतिम तिथि, किसानों के खाते से प्रीमियम डेबिट करने के बाद ऋणी किसानों के लिए 15 दिनों के भीतर और गैर ऋणी किसानों के लिए कट-ऑफ तारीख से 7 दिनों के भीतर क्रमश: खरीफ और रबी सीजन में हैं।

d. बीमा मध्यस्थ से बीमा कंपनी को प्रस्तुत करना - नामित बीमा एजेंट से बीमा कंपनी को प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ताव की प्राप्ति की अंतिम तिथि क्रमश: घोषणा/प्रीमियम प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर होगी।

यह ध्यान देना चहिए कि न तो DAC & FW और न ही किसी भी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकार को किसी भी परिस्थिति में निर्धारित होने एवं अधिसूचित होने के बाद मौसम की अंतिम तिथियों का विस्तार करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

21. क्या पोर्टल में डेटा दर्ज करने के लिए कोई अंतिम तिथि हैं?

किसी भी बैंकर या मध्यस्थ के माध्यम से किये गए सभी नामांकन, व्यक्तिगत बीमित किसानों की सूचना (सॉफ्ट कॉपी) फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि, प्रीमियम के संग्रह की अंतिम तिथि के 15 दिनों के भीतर होगी।

22. राज्य बीमा कंपनियों को उपज के आंकड़े कब प्रदान करते हैं?

राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए, कट-ऑफ तारिख को सभी उपज के आंकड़े फसल कटाई को अंतिम रूप देने और अंतिम फसल की तारिख से एक महीने के भीतर बीमा कंपनियों को सभी उपज के आंकड़े प्रदान करना आवश्यक है।

23. डेटा प्राप्त करने के बाद बीमा कंपनी दावों का निपटान कब करेगी?

बीमा कंपनियां राज्य सरकार से उपज के आंकड़े प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर उपज के आंकड़ों के आधार पर अंतिम दावे का भुगतान करेंगी।

24. मूल्य निर्धारण या प्रीमियम दर प्राप्त करने के लिए कंपनियों की बुनियादी आवश्यकताएं क्या हैं?

a. यह योजना बीमा इकाई (IU) नामक चयनित परिभाषित क्षेत्र में एरिया एप्रोच के सिद्धांत पर काम करेगी। राज्य सरकार प्रमुख फसलों के लिए ग्राम बीमा इकाई और लघु फसलों के लिए राजस्व निरीक्षक मण्डल बीमा इकाई है।

b. एसएलसीसीसीआई, दो महीने के भीतर बीमा कंपनी को बीमाकृत फसलों के बुवाई क्षेत्र के साथ-साथ बीमित अवधि के लिए मानक प्रारूप में प्रमुख और गौण फसलों के लिए बीमा इकाई पर आधारित कम से कम पिछले 10 वर्षों के ऐतिहासिक उपज के आंकड़े प्रदान करेगी।

c. ऋणी और गैर ऋणी किसानों दोनों के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि बराबर होगी जो जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा तय की गई है, और एसएलसीसीसीआई इसको पूर्व घोषित करेगी एवं बीमा कंपनियों को सूचित करेगी।

25. बोई गई फसल और परिवर्तन के बारे में कंपनी को सूचित करने के लिए क्या प्रक्रिया है?

ऋणी किसान बीमित फसल में परिवर्तन करवा सकते है, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नामांकन की अंतिम तिथी से दो दिन (कार्य दिवस) पहले तक किसान अपने फसल में परिवर्तन की सूचना संबंधित बैंक शाखा में दे सकते है।

26. बैंक को देय कमीशन और बैंक शुल्क क्या हैं?

क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा सभी बैंकों को ऋणी एवं अऋणी कृषकों की बीमा करने के लिए योजनांतर्गत निर्धारित दर के अनुसार कृषकों से प्राप्त प्रीमियम का 4 प्रतिशत सेवा शुल्क खरीफ एवं रबी मौसम समाप्ति के पश्चात भुगतान किया जाएगा।

27. क्या इस योजना के तहत सेवा कर लागू है?

पीएमएफबीवाई को सेवा कर से छूट प्राप्त है।